nprawatbhata271@gmail.com

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला–चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक/नपारा/भूमि/ 2022–23/ 2327 दिनांक :– 26/8/2022

नियम व शर्ते :–

1. प्रत्येक बोलीदाता को ई–नीलामी बोली में भाग लेने हेतु ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीकरण कर अपना आई.डी. पासवर्ड प्राप्त करना होगा। पंजीकरण हेतु पंजीयन राशि व अपना पहचान पत्र ऑनलाईन जमा करवाना होगा, पंजीयन राशि नॉन रिफेण्डबल होगी।
2. नगर पालिका की ई–नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता का पंजीकरण होना आवश्यक है व उक्त पंजीयन को सत्यापित होना भी आवश्यक है।
3. असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि पुनः लौटाने हेतु ऑनलाईन नगर पालिका रावतभाटा द्वारा पूर्व में पंजीकृत व सत्यापित रिफण्ड खाता के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकेगा। नगर पालिका द्वारा कोई भी भुगतान चैक या नकद नहीं किया जावेगा।
4. भूखण्ड/दुकान की ई–नीलामी में दो से अधिक प्रतिभागियों/बोलीदाताओं द्वारा नीलामी बोली में भाग लिये जाने पर ही नीलामी बोली प्रारंभ की जायेगी, अन्यथा अभाव में नीलामी स्थगित कर दी जावेगी।
5. प्रत्येक भूखण्ड/दुकान की भागीदारी राशि एवं धरोहर राशि पृथक–पृथक जमा करवानी होगी।
6. पंजीयन शुल्क (500/– रूपये) पंजीयन दिनांक से एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा, परन्तु प्रत्येक भूखण्ड/दुकान की ई–नीलामी में भाग लेने हेतु भागीदारी शुल्क (1500/– रूपये) प्रत्येक भूखण्ड़/दुकान नीलामी हेतु पृथक–पृथक रूप से देय होगी जो नॉन रिफण्डेबल होगी।
7. जिस व्यक्ति के नाम भूखण्ड/दुकान की अन्तिम नीलामी बोली समाप्त होगी, उस व्यक्ति के द्वारा भूखण्ड/दुकान की कुल राशि की 15 प्रतिशत राशि नीलामी दिनांक के तीन दिवस के भीतर जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा भूखण्ड/दुकान की नीलामी निरस्त की जाकर जमा 2 प्रतिशत धरोहर राशि को जप्त किया जावेगा।
8. सफल बोलीदाता को भूखण्ड/दुकान की नीलामी राशि की 35 प्रतिशत राशि नीलामी दिनांक से 120 दिवस के अन्दर जमा करवाया जाना होगा, भूखण्ड/दुकान नीलामी की उक्त निर्धारित अवधि में 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने पर सफल बोलीदाता को अगले 60 दिवस के भीतर 15 प्रतिशत ब्याज सहित जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
9. सफल बोलीदाता को शेष 50 प्रतिशत राशि नीलामी दिनांक से 180 दिवस के अन्दर जमा करवाया जाना होगा, भूखण्ड/दुकान नीलामी की उक्त निर्धारित अवधि में 50 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने पर सफल बोलीदाता को अगले 90 दिवस के भीतर 15 प्रतिशत ब्याज सहित जमा राशि जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।
10. यदि सफल बोलीदाता द्वारा भूखण्ड/दुकान की सम्पूर्ण राशि 15 दिवस के भीतर जमा करवा दी जाती है तो उसे नीलामी बोली राशि में 1 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावेगी।
11. पालिका अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी को बिना कारण बताये बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
12. नीलामी अवधि बढाने का अधिकार नगर पालिका रावतभाटा के पास सुरक्षित रहेगा।
13. नीलामी की अन्तिम बोली उस समय तक अस्थायी होगी जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा नीलामी की अन्तिम बोली को स्वीकार नहीं किया जाता है।
14. अन्य सभी राजकीय नियमों/आदेशों (समय–समय पर यथा संशोधित) की पालना क्रेता को करना होगा तथा भविष्य में इस बाबत् कोई नियम बनाये जावेगे तो वह उस भूखण्ड पर भी लागू होगे।
15. लीज राशि 8 वर्ष की एकमुश्त आवासीय/व्यावसायिक के लिये आरक्षित दर का 2.5/5 प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियमों के अन्तर्गत जमा करवाया जाना होगा।

लगातार..................2

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका रावतभाटा

Dipika Tillani
अध्यक्ष
नगर पालिका रावतभाटा

Nilami Letter

16. पालिका द्वारा अनुमोदित कॉलोनीयों में भूखण्ड/दुकान मौके पर जिस स्थिति में होगा उसी स्थिति में नीलाम किया जावेगा तथा नल, बिजली, नाला–नालिया, सड़क एवं पार्क का निर्माण, बोर्ड की सुविधा अनुसार नगर नियोजक कार्यालय से अनुमोदित नक्शे अनुसार किया जावेगा एवं बिखरे भूखण्ड व बिखरे भूखण्ड के सम्मुख जैसी रोड की स्थिति है, वैसी ही स्थिति में नीलाम किये जायेगे।
17. यदि सफल बोलीदाता के द्वारा अवधि बढोतरी के भीतर भी ब्याज सहित राशि जमा नहीं करवायी जाती है तो उसके द्वारा जमा 15 प्रतिशत की राशि को जप्त कर लिया जावेगा व भूखण्ड/दुकान की नीलामी स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
18. सफल बोलीदाता की जमा धरोहर राशि का समायोजन 15 प्रतिशत राशि जमा करवाते समय कर लिया जावेगा।
19. नीलामी में प्रत्येक बोली 10000/–रूपये प्रति बोली में बढाया जाना होगा।
20. बोलीदाता ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व साईट विजिट कर सकते है व कार्यालय समय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर दस्तावेजों का अवलोकन कर सकते है।
21. सफल मूल बोलीदाता के पक्ष में ही नगर पालिका रावतभाटा द्वारा लीज डीड (पट्टा) जारी करने की कार्यवाही की जावेगी। परन्तु यदि सफल बोलीदाता के द्वारा लीज डीड (पट्टा) में स्वयं के साथ किसी अन्य व्यक्ति का नाम अंकित करवाना होगा तो इस हेतु पृथक से पालिका में आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
22. ई–नीलामी हेतु किसी भी प्रकार की इन्टरनेट/सर्वर की समस्या हेतु नगर पालिका रावतभाटा जिम्मेदार नहीं होगी।
23. पट्टा शुल्क एवं प्रशासनिक शुल्क नगर पालिका रावतभाटा द्वारा निर्धारित राशि अनुसार पृथक से देय होगा।
24. निर्मित दुकान पर छत का अधिकार नगर पालिका रावतभाटा का रहेगा।
25. ई–नीलामी के सम्बन्ध में जानकारी पालिका कर्मचारी श्री अमित सिंह (मो.नं. 9461058762,) श्री गिरिश कुमार शर्मा (मो.नं. 9982617676) से कार्यालय समय पर सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते है।

Dipika Tillani

(दीपिका तिल्लानी)
अध्यक्ष
नगर पालिका, रावतभाटा

अध्यक्ष
नगर पालिका रावतभाटा

(मोहम्मद सुहैल शेख)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, रावतभाटा

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका रावतभाटा